HRC का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 697] No. 697] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2011/पौष 9, 1933

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2011/PAUSA 9, 1933

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर , 2011

सा.का.नि. 915(अ).— संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खण्ड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा विभाग में कार्यरत व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से, राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर राज्य निवासी, (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में छूट) नियमावली, 1997 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों को जम्मू और कश्मीर राज्य के निवासी (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में छूट) नियमावली, 2011 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. जम्मू और कश्मीर के निवासी (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में भर्ती के लिए ऊपरी आयु-सीमा में छूट) नियमावली, 1997 में, नियम-1 में उप-नियम (3) में, अंक "2011" के लिए अंक "2013" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- [फा. सं. 15012/6/2011-स्था. (घ)]

आलोक कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम सं. सा.का. नि. 208 (अ) तारीख 10 अप्रैल 1997 द्वारा भारत के राजपत्र प्रकाशित किए गए थे और बाद के निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए थे :-

(1) सा.का.नि. 826(अ), तारीख 27 दिसम्बर, 1999;

- (2) सा.का.नि. 919(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2001;
- (3) सा.का.नि. 879(अ), तारीख 10 नवम्बर, 2003;
- (4) सा.का.नि. 707(अ), तारीख 6 दिसम्बर, 2005;
- (5) सा.का.नि. 761(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2007;
- (6) सा.का.नि. 839(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2009;

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training) NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2011

- G.S.R. 915(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor-General of India in relation to the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and Posts) Rules, 1997, namely:—
- 1 (1) These rules may be called the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and Posts) Amendment Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Residents of the State of Jammu and Kashmir (Relaxation of Upper Age Limit for Recruitment to Central Civil Services and Posts) Rules, 1997, in rule 1, in

sub-rule (3), for the figures "2011", the figures '2013" shall be substituted.

[F. No. 15012/6/2011-Estt.(D)]

ALOK KUMAR, Jt. Secy.

Foot Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GS.R. 208 (E), dated the 10th April, 1997 and subsequently amended vide:—

- GS. R. 826(E), dated the 27th December, 1999:
- (ii) GS. R. 919(E), dated the 22nd December, 2001:
- (iii) GS. R. 879(E), dated the 10th November, 2003:
- (iv) GS. R. 707(E), dated the 6th December, 2005:
- (v) GS. R. 761(E), dated the 7th December, 2007; and
- (vi) GS. R. 839 (E), dated the 23rd November 2009.